FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान जान मोहम्मद बनाम मै0 क्रिश इन्फ्रास्टेक्चर प्रा0लि0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल नम्बर 15/89/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.20	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते बहस पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 271/2014 जुम्मे खां व अन्य बनाम मै0 क्रिश इन्फ्रास्टेक्चर प्रा0लि0 विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक–नजदीक तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का जल्दबाजी में निस्तारण करने की कौशिश कर रहें है व प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयाव किया जा रहा है। उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नही कर रहें है, तथा ऐलानिया तौर पर कहा कि आगामी तारीख को आवश्यक रूप से फैसला कर दूगां। पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व वाद जुम्मे खां व अन्य बनाम मै0 क्रिश इन्फ्रास्टेक्चर प्रा0लि0 दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावें। अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण न्यायालय में अप्रार्थी के विरूद्व बटवाने का दावा दायर किया है, जिस पर प्रार्थी की ओर से आराजी का बटवारा किये जाने में सहमती दे दी जिस पर दिनांक 26.9.14 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर व बाद में दिनांक 312.12.15 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। प्रकरण अपील दायर की जिस पर उक्त दिनांक को पारित किया गया निर्णय निरस्त कर दिया ओर प्रति प्रेषित किया की दोनो पक्षों की मौजूदगी में कुराजात रिपोर्ट तैयार कर निर्णय करें। प्रकरण न्यायालय में अभी बहस में नियत नेंही है। दिनांक 16.4.19 को प्रतिवादी सं0 1 की एकतर्फा का आदेश है इस प्रकार प्रार्थी वकील का यह कहना कि प्रतिवादी सं0 1 पीठासीन अधिकारी से साज बाज है जो सरासर झूठ है। प्रार्थना पत्र में जो तथ्य दर्ज किये वे समस्त विचाराधीन वाद में लिखी गयी आदेशिकाओं से भिन्न है। पीठासीन अधिकारी विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रहें है। पीठासीन अधिकारी के विरूद्व लगाये गये आरोप निराधार है। प्रकरण को विलम्ब करने की नियती से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। हमनें पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील प्रार्थीनी का मुख्य तर्क यह है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक–नजदीक की तारीखे दी जा रही हैं, उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नही कर रहें है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	